न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 37/2020
तारीख दायरा – 10/11/2020

प्रार्थीगण :–

1. चुन्नीलाल पुत्र वगताजी उम्र–49 वर्ष जाति–मेघवंशी (मेघवाल)
2. गजरो पत्नी वगताजी उम्र–80 वर्ष जाति–मेघवंशी (मेघवाल)
   निवासी–गुडा सुथारान, तहसील देसूरी जिला–पाली।

– : विरूद्ध : –

अप्रार्थी :–

1. सरपच ग्राम पचायत गुडा जाटान पंचायत समिति देसूरी जिला–पाली।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 अभिघृति अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– चुन्नीलाल पुत्र वगताजी जाति मेघवंशी (मेघवाल)
निवासी–गुडा सुथारान तहसील देसूरी जिला–पाली उपस्थित

अप्रार्थीगण :– सरपंच ग्राम पंचायत गुडा जाटान अनुपस्थित

–: आदेश :–

दिनांक : 15/06/2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 हेक्टर में आवागमन के लिए नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ जमाबंदी संवत् 2073–2076 खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 किस्म बारानी दोयम व जमाबंदी संवत् 2073–2076 खसरा नम्बर 69 रकबा 3.7600 किस्म बारानी दोयम कि पेश की व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की ।
2. अपने आवेदन में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु 20 फिट चौडे रास्ते हेतु अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुडा जाटान के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 3.7600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से 40X6=240 वर्ग मीटर रास्ते की माग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 02

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

3. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नही कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या ग्रा0प0/गुडा जाटान/2021–22/15 दिनांक 28.07.2021 जाहिर किया कि खसरा नम्बर 69 रकबा 3.7600 हेक्टर भूमि ग्राम पंचायत गुडा जाटान पंचायत समिति देसूरी के खाते में दर्ज है। जिसमें से प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 हेक्टर में रास्ते के उपयोग हेतु भूमि दिये जाने में सहमति दर्शाई।

4. इस कार्यालय के पत्रांक कोर्ट/2021/138 दिनांक 25.03.2021 के जरिये तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2021/609 दिनांक 28.07.2021 के जरिये जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द, नजरी नक्शा के जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा के साथ प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र वगताजी जाति मेघवंशी व गजरो पत्नि वगताजी जाति मेघवंशी (मेघवाल) के द्वारा मौजा गुडा सुथारान पटवार मण्डल गुडा जाटान के खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प आवागमन के लिए नही है। प्रस्तावित रास्ता के खसरा नम्बर 69 रकबा 3.76 हेक्टर में से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 69 रकबा 3.76 हेक्टर मे से कुल रकबा 40X6=240 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। उक्त भूमि ग्राम पंचायत गुडा जाटान को हस्तांतरित किया हुआ है। मौका फर्द में नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार लाल स्याही से अंकित रास्ता खसरा नम्बर 69 रकबा 3.76 हेक्टर की भूमि प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है। तहसीलदार देसूरी के द्वारा प्रकरण में रास्ते हेतु कुल रकबा 40X6=240 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित की गई है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की पंजीयन बाजार दर 910035/– रूपये प्रति हेक्टर बताई गई है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस, मौका फर्द, ग्राम पंचायत गुडा जाटान पं0स0 देसूरी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गुडा सुथारान, ग्राम पंचायत गुडा जाटान पं0स0 देसूरी के खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7300 हेक्टर [illegible] भूमि में आवागमन हेतु रास्ता रिकोर्डेड अनुसार उपलब्ध नही होने [illegible] गुडा सुथारान, ग्राम पंचायत गुडा जाटान की खातेदारी भूमि [illegible] 3.76 हेक्टर किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

दोयम में से 20 फीट चौडाई में कुल प्रभावित रकबा 40X6=240 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु रास्ते की भूमि का प्रस्तावित रकबा 40X6=240 वर्ग मीटर की राशि 21841/–रूपये बनती है जिसकी नियमानुसार दोगुनी राशि 43685/–रूपये बनती है प्रार्थी उक्त राशि 43685/– रूपये का अनुदान भुगतान ग्राम पंचायत गुडा जाटान को करना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी का आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी 20 फीट चौडे रास्ते के परिपेक्ष में डी.एल.सी. की दर अनुसार प्रस्तावित रास्ता 40X6=240 वर्ग मीटर की अनुदान राशि 43685/–रूपये प्रार्थी खातेदार अप्रार्थी ग्राम पंचायत गुडा जाटान को भुगतान करवाने के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गुडा सुथारान में आने–जाने हेतु ग्राम पंचायत गुडा जाटान के खसरा नम्बर 69 मे से आवागमन हेतु उक्त खसरो के 40X6=240 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें, नक्शे में तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। ग्राम पंचायत गुडा जाटान समिति देसूरी को आदेश की प्रति भेजी जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

आदेश आज दिनांक 15/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested